मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4451
20.03.2020 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण हेतु योजनाएं

4451. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विभिन्न राज्य पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 13 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है। देश में इन योजनाओं को, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जाता है। गत तीन वर्षों में इस मंत्रालय की योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भूमि अवक्रमण/वायु/जल प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से और कतिपय विधायी एवं विनियामक उपायों के जरिए इन मुद्दों का समाधान करती है।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), देश की जैव-विविधता, वनों और वन्यजीवों सहित उसके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण के निवारण एवं उपशमन से संबंधित भारत की पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु केन्द्रीय सरकार में नोडल एजेंसी है। इन नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय, मंत्रालय द्वारा संधारणीय विकास के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। मंत्रालय के उद्देश्यों को पूरा करने में, पर्यावरण के परिरक्षण, संरक्षण और सुरक्षा के लक्ष्य से किए गए कतिपय विधायी एवं विनियामक उपायों से यथेष्ट सहयोग प्राप्त होता है।

****

अनुबंध-I

	योजना	परिणाम
I	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं**	
1	**पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और संधारणीय विकास**	
(i)	प्रदूषण उपशमन	• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) का सुदृढ़ीकरण • पर्यावरणीय स्वास्थ्य के तहत जारी परियोजनाओं का समापन • जारी साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) परियोजनाओं को पूर्ण करना • जारी स्वच्छ प्रौद्योगिकी (सीटी) परियोजनाओं के लिए निधीयन प्रदान करना
(ii)	परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन	• एसएएमपीएटीटीआइ - 'व्यापार संबंधी पहलों के माध्यम से पूर्व-स्वामित्व सम्पत्ति का संधारणीय प्रबंधन' • नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, हथालन और शोधन के लिए अभिनव समाधान • रसायनों और अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल प्रबंधन के संबंध में सरकारी अभिकरणों/संगठनों/विभाग का क्षमता निर्माण
(iii)	जलवायु परिवर्तन कार्य योजना	• राष्ट्रीय कार्बोनेसियस एयरोसोल प्रोग्राम • दीर्घ कालिक पारिस्थितिकी वेधशाला प्रोग्राम
(iv)	राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	• जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं हेतु राज्यों के लिए निधियों का प्रावधान करना
(v)	राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन	• हिमालयी डेटासेट्स का सुदृढ़ीकरण • मांग आधारित अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन
2	**राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम**	• एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंधन परियोजना • तट सफाई और प्रदूषण उपशमन • समग्र तटीय मिशन दस्तावेज तैयार करना • प्रवाल-भित्ति और कच्छ वनस्पति का संरक्षण : 21 अनुमोदित प्रबंधन कार्य योजनाओं (एमएपी) का कार्यान्वयन
3	**पर्यावरणीय जागरूकता, नीति, आयोजना और परिणाम मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली**	
(i)	पर्यावरणीय शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	• पारि-क्लबों का सुदृढ़ीकरण • ग्लोब के अंतर्गत चार प्रोटोकॉल (बायोस्फेयर, पेडोस्फेयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर) के संबंध में वैज्ञानिक डेटा एकत्रण
(ii)	पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (एनविस)	• नए एनविस हब/संसाधन साझेदारों की स्थापना • हरित कौशल विकास कार्यक्रम • भारतीय राज्य-स्तरीय आधारभूत पर्यावरणीय सूचना डेटाबेस (आइएसबीईआइडी) का रखरखाव करना • ग्रिड आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (जीआरआइडीएसएस) • समुदाय-चालित पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ग्राम कार्यक्रम (सीईएसवीपी)

(iii)	उत्कृष्टता केंद्र	• उत्कृष्टता केंद्र को मान्यता देना
(iv)	संरक्षण और विकास के लिए आर एंड डी	• प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संरक्षण, अवक्रमित क्षेत्रों के पुनरूदभव, संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों, जैव-विविधता के संरक्षण के लिए डेटा तैयार करने हेतु आर एंड डी परियोजनाओं के लिए निधीयन करना
4	**प्रदूषण नियंत्रण** (वित्तीय वर्ष 2018-19 से आरंभ)	• सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी को प्रदूषण के उपशमन हेतु सहायता • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम • राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम • राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि निगरानी नेटवर्क
5	**पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण**	
(i)	वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	• आईएफएस अधिकारियों, अन्य सेवाओं और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
(ii)	पारि-कार्य बल	• वनीकरण
II	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**	
1	**राष्ट्रीय हरित भारत मिशन**	• हरित भारत मिशन - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम - मृदा आर्द्रता संरक्षण, पादपों का सृजन/रोपण, पौधरोपण का रखरखाव, वैकल्पिक ईंधन ऊर्जा उपकरणों का संवर्धन • दावानल निवारण और प्रबंधन - नियंत्रित दहन सहित फायरलाइन का सृजन और रखरखाव; अग्निशामक उपस्करों, क्षेत्र वाहनों की खरीद; जल संचयन संरचनाएं
2	**वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास**	• बाघ परियोजना - नामोद्दिष्ट बाघ रिजर्वों में और बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ वासित वनों में भी, बाघ संरक्षण के लिए बाघ बहुल राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना • हाथी परियोजना - हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों को सुरक्षित करना; मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का निराकरण करना; पालतू बनाए गए हाथियों का कल्याण करना • वन्यजीव पर्यावासों का विकास - वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण; संरक्षित क्षेत्रों के लिए सहायता; संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा; गम्भीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और पर्यावासों को बचाने हेतु पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना
3	**प्राकृतिक संसाधनों और पारिप्रणालियों का संरक्षण**	• जलीय पारिप्रणालियों का संरक्षण - नमभूमियों (झीलों सहित) के लिए संरक्षण और प्रबंधन कार्यकलाप • जैवविविधता संरक्षण (जैवमंडल रिजर्व) - नए जैवमंडल रिजर्वों को नामोद्दिष्ट करना तथा मैन एंड दी बायोस्फेयर प्रोग्राम (एमएबी-यूएनईएससीओ) के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर रिजर्वस् (डब्ल्यूएनबीआर) में समावेशन करना

नोट : इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (केंद्रीय प्रायोजित योजना) को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कार्यान्वित किया गया था।